

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुनकर सदस्यों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

1. प्रस्तावना :-

हाथकरघा क्षेत्र बुनाई की परम्परा छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विरासत के सबसे समृद्ध तथा सशक्त पहलुओं में से एक है। हाथकरघा वस्त्र में कारीगरी का स्तर तथा जटिल आधुनिक मशीनों की पहुंच से परे है। यह कृषि के बाद सबसे बड़े उद्योगों में से एक है जो कि प्रदेश में लगभग 15,000 हाथकरघा के साथ लगभग 45,000 बुनाई तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों में संलग्न लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

प्रदेश की 284 प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से सम्बद्ध है। प्रायः देखा जाता है कि प्रोत्साहन के अभाव में बुनकर परिवार के पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्रा) प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। हाथकरघा बुनाई उद्योग अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होकर बुनकर बुनाई कार्य में संलग्न है। ऐसे बुनकरों के बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता एवं प्रतिस्पर्धा का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुनकर सदस्यों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

2. उद्देश्य :-

राज्य हाथकरघा संघ से जुड़े बुनकर परिवार के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना।

3. पात्रता :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के सदस्य के रूप में जुड़े प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के बुनकर परिवार के पुत्र/पुत्री सम्मिलित होंगे।
2. छत्तीसगढ़ प्रदेश का निवासी हो।
3. पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) के माता/पिता बुनकर समिति का नियमित सदस्य हो।
4. बुनकर परिवार से आशय पति, पत्नी एवं उनके बच्चे।

4. योजना में प्रस्तावित प्रोत्साहन पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में उत्तीर्ण ऐसे बुनकर परिवार के सदस्य जो उक्त अंतर्गत पात्रता रखता हो। उक्त योजना में निम्नानुसार प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जावेगा।

क्रं.	कक्ष का नाम	60% अंक से अधिक प्रति छात्र/छात्रा	70% अंक से अधिक प्रति छात्र/छात्रा	80% अंक से अधिक प्रति छात्र/छात्रा	90% अंक से अधिक प्रति छात्र/छात्रा
1	2	3	4	5	6
1	10वीं उत्तीर्ण	4100/-	8100/-	12100/-	16100/-
2	12वीं उत्तीर्ण	6100/-	10100/-	14100/-	20100/-

5. योजना का प्रारंभ :-

प्रदेश के बुनकरों के पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) को प्रोत्साहित करने उक्त योजना वर्ष 2007-08 से छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा किया गया।

6. बुनकर के पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) का चयन :-

उक्त प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित सदस्य का चयन उनके द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा। प्रमाण स्वरूप अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

7. प्रतिभावान पुत्र/पुत्री(छात्र/छात्राओं) के चयन हेतु प्रस्तावित कमेटी :-

उक्त योजना में बुनकर सदस्यों के पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) का चयन करने हेतु निम्नानुसार एक कमेटी प्रस्तावित है।

1. जिला में पदस्थ उप/सहायक संचालक, जिला हाथकरघा कार्यालय
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य/प्रतिनिधि
3. जिले की एक नामांकित बुनकर समिति का अध्यक्ष/प्रतिनिधि
4. आमंत्रित सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी।

8. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

संघ से सम्बद्ध बुनकर समिति के बुनकर सदस्यों के पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) द्वारा प्रपत्र -1, में प्राथमिक बुनकर समिति के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति अपनी औपचारिकता पूर्ण कर टीप सहित आवेदन संबंधित जिला हाथकरघा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। प्राप्त समस्त आवेदन को संकलित कर चयन समिति की बैठक आयोजित कर पात्र सदस्यों का चयन कर अपनी अनुशंसा सहित प्रपत्र-2 में जानकारी " प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या, रायपुर को प्रेषित की जावेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बुनकर सदस्यों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्री (छात्र/छात्राओं) को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष हेतु

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
फोटो

:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::

1. आवेदक का नाम :.....
2. आवेदक के पिता का नाम :.....
3. आवेदक के पिता किस बुनकर समिति के सदस्य है, समिति का नाम :.....
4. उत्तीर्ण बोर्ड परीक्षा का नाम :.....
(अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
5. परीक्षा में कुल प्राप्तांक/प्रतिशत :.....
6. स्कूल का नाम जिससे परीक्षा उत्तीर्ण की है। :.....
7. बड़े होकर आवेदक क्या बनना चाहता है।(इसका उद्देश्य आवेदक को भविष्य के बारे में सोचने हेतु प्रेरित करना है।) :.....
8. आवेदक के पिता कब से बुनाई कार्य में संलग्न हैं। :.....
9. आवेदक के पिता को बुनाई कला में प्राप्त पुरस्कार का विवरण :.....
10. आवेदक को पूर्व में प्रोत्साहन पुरस्कार:.....
प्राप्त हुआ है तो विवरण देंगे। :.....
11. आवेदन पत्र समिति में प्रस्तुत करने का दिनांक :.....

:: सत्यापन ::

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त जानकारी सही एवं सत्य है। असत्य पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने का समस्त अधिकार छत्तीसगढ़ हाथकरघा बुनकर कल्याण समिति, रायपुर का होगा।

आवेदक के पिता/अभिभावक
के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राथमिक बुनकर समिति के उपयोग हेतु

आवेदक श्री पिता का नाम
श्री संस्था के नियमित सदस्य है जिनका
सदस्य क्रमांक है। वह वर्तमान में संघ के
..... वस्त्र उत्पादन में संलग्न है। उनके बच्चे के द्वारा वर्ष
..... में परीक्षा प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण
किया है, तथा उनके पिता की बुनाई से आय 50% से अधिक है।
दिनांक :.....

अध्यक्ष/प्रबंधक के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा (सील)

जिला हाथकरघा कार्यालय के प्रयोग हेतु

बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, से उक्त सदस्य
के छात्र/छात्रा का आवेदन दिनांक को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन
चयन कमेटी की बैठक दिनांक में सम्मिलित किया गया। चयन
कमेटी में आवेदन सही पाया गया। उक्त आवेदित छात्र/छात्रा को वी की
परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। अतः कमेटी द्वारा आवेदित
छात्र/छात्रा को पुरस्कार में सम्मिलित करने की अनुशंसा की जाती है। एकजाई सूची
पृथक से प्रपत्र-2 में संलग्न है।

स्थान :.....

दिनांक :.....

उप/सहायक संचालक के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

एकजाई सूची

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	समिति का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत			
					60% से अधिक	70% से अधिक	80% से अधिक	90% से अधिक

उप/सहायक संचालक
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा